अति महत्वपूर्ण

संख्या - 12/2017/भा0स0 16/84-2-2017-सीपी 5/99

प्रेषक,

जी0पी0 कमल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 10 मार्च, 2017

विषय दिनांक 15 मार्च, 2017 ''विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस'' के अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना।

महोदय,

विश्व उपभोक्ता आंदोलन के अंतर्गत पूर्ण एकता और उत्सव के लिए ''विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस'' एक वार्षिक अवसर है, जो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। ''विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस'' समस्त उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने का एक माध्यम है। भारत सरकार ने इस वर्ष का विषय **"Consumer Rights in the digital age"** निर्धारित किया है।

2. अतः अपने जनपद में ''विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस'' दिनांक 15 मार्च, 2017 को उत्सव की भांति मनाया जाय। इस निमित्त 'वर्कशाप' और सेमिनार आदि का आयोजन किया जाय, जिससे कि उपभोक्तागण उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। भारत सरकार द्वारा ''विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस'' दिनांक 15 मार्च, 2017 के लिए निर्धारित विषय **"Consumer Rights in the digital age"** के सम्बन्ध में विभिन्न प्रतियोगितायें भी आयोजित कराने का कष्ट करें। इस हेतु उपभोक्ताओं को आमंत्रित कर उनके उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हुए उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार एवं प्रदेश शासन द्वारा किये गये प्रयासों से उन्हें अवगत कराया जाय ताकि वह एक उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार अपने स्तर से अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करके शासन को यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जी0 पी0 कमल
विशेष सचिव।

....2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या - 12/2017/भा0स0 16/84-2-2017-सीपी 5/99 दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि :-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि दिनांक 15 मार्च, 2017 को "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2017" के अवसर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित विषय के संबंध में मुख्यालय एवं प्रत्येक जनपदों में सेमिनार आदि आयोजित कराकर उपभोक्ताओं को जागरूक किये जाने के संबंध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(3) नियंत्रक, बांट एवं माप, 7 बालाकदर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2017" के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित विषय के सम्बन्ध में मुख्यालय एवं प्रत्येक जनपदों में सेमिनार आदि कराने का कष्ट करें।

(4) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(5) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तर प्रदेश (द्वारा निबंधक, राज्य आयोग)।

(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।